न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदी�ा सिंह आ�िाया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 34/2024

प्रार्थी **बनाम** विप्रार्थीगण

प्रार्थी:

1. वोताराम पुत्र रिड़मलराम
2. लाखाराम. पुत्र मावाराम
3. बाबूलाल पुत्र मावाराम
4. कपूराराम पुत्र मावाराम
5. शंकरलाल पुत्र मावाराम
6. रुखमोदेवी पत्नि मावाराम
7. सोनाराम पुत्र पुरखाराम
8. पाबूराम पुत्र पुरखाराम
9. अर्जुनराम पुत्र पुरखाराम
10. कदणोदेवी पत्नि पुरखाराम जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासीयान मोतीसरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर हाल बालोतरा।

विप्रार्थीगण:

1. विशनाराम पुत्र खुबाराम
2. रावताराम पुत्र खुबाराम
3. वीराराम पुत्र खुबाराम
4. पेमाराम पुत्र सवाराम
5. मालाराम पुत्र सवाराम
6. मोटाराम पुत्र भारताराम जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासीयान मोतीसरा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
7. करनाराम पुत्र मांगाराम
8. भूराराम पुत्र भारमलराम
9. भैराराम पुत्र मोतीराम
10. गिरधारीराम पुत्र कुंपाराम
11. नेतीराम पुत्र कुंपाराम
12. चांपाराम पुत्र कुंपाराम
13. लाखाराम पुत्र गंगदाराम
14. केशाराम पुत्र गंगदाराम
15. भैराराम पुत्र मोतीराम
16. सवाराम पुत्र चेनाराम
17. भीखाराम पुत्र चेनाराम
18. भैराराम पुंत्र मोतीराम जातियन कलबी निवासीयान मोतीसरा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
19. सकाराम पुत्र भगाराम जातियान सुथार निवासीयान मोतीसरा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
20. रुगनाथसिंह पुत्र भैरसिंह
21. हेमसिंह पुत्र हीरसिंह
22. छैलसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत निवासी पायलाखुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
23. सांवलाराम पुत्र जोगाराम
24. रमेशकुमार पुत्र जोगाराम
25. चौथाराम पुत्र होतीराम
26. जेठाराम पुत्र जामताराम जाति राईका निवासी मोतीसरा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
27. तहसीलदार सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति-

1. श्री पाबुराम बेनिवाल , अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 18.06.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 317/255, 318/255, 322/162, 320/255, 324/162, 319/255, 323/162 रकबा कमशः 5.5961, 5.9294, 3.9263, 11.5255, 3.9264, 11.5256, 3.9263 खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 317/255, 318/255, 322/162, 320/255, 324/162, 319/255, 323/162 रकबा कमशः 5.5961, 5.9294, 3.9263, 11.5255, 3.9264, 11.5256, 3.9263 भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्राथीगर्ण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 317/255, 318/255, 322/162, 320/255, 324/162, 319/255, 323/162 रकबा कमशः 5.5961, 5.9294, 3.9263, 11.5255, 3.9264, 11.5256, 3.9263 भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 317/255, 318/255, 322/162,

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

320 / 255, 324 / 162, 319 / 255, 323 / 162 रकबा क्रमशः 5.5961, 5.9294, 3.9263, 11.5255, 3.9264, 11.5256, 3.9263 भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 317 / 255, 318 / 255, 322 / 162, 320 / 255, 324 / 162, 319 / 255, 323 / 162 रकबा क्रमशः 5.5961, 5.9294, 3.9263, 11.5255, 3.9264, 11.5256, 3.9263 भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड सहखातेदा है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया कि मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 317 / 255, 318 / 255, 322 / 162, 320 / 255, 324 / 162, 319 / 255, 323 / 162 रकबा क्रमशः 5.5961, 5.9294, 3.9263, 11.5255, 3.9264, 11.5256, 3.9263 भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस / पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000 / प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 18.06.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी